

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित, (कॉलेज व्याख्याता) परीक्षा 2014 में चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश की पालना में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त करें।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	विनय भारद्वाज नागर राजाखेडा धौलपुर	जीव विज्ञान	13.03.81	एफ1( 23-26) RPSC/ Appt/ HRD/2017/ 151 दिनांक 16.01.19



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/विनय/अन्यत्र विभाग/2018-19 दिनांक 27/3/19  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपशासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. आयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) धौलपुर।
6. संबंधित संस्थान प्रधानाचार्य राउमावि नागर राजाखेडा धौलपुर
7. संबंधित कार्मिक विनय भारद्वाज व्याख्याता जीव विज्ञान
8. अनुभाग अधिकारी एबी अनुभाग/ओएसी/वरिष्ठता अनुभाग
9. रक्षित/निजी पत्रावली

V(10) कम्प्यूटर अनुभाग कम्प्यूटर विभाग



1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर